न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./22/2025

खैमचन्द पुत्र श्री देववक्स जाति माली निवासी नगला लोधा तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. टीकम पुत्र देववक्स } जाति माली निवासी नगला लोधा तहसील व
2. यादराम पुत्र देववक्स } जिला भरतपुर
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी भरतपुर श्री राजीव शर्मा, प्रकरण संख्या 190/2021 एवं प्रार्थना पत्र सं0 269/22

उपस्थितः—
1—श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी—1,
3—श्री भोलासिंह अभिभाषक अप्रार्थी—2,
4—पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 21.05.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी भरतपुर इस आशय का पेश किया गया है, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1168 व 1062 चक नम्बर 3 कस्वा भरतपुर की बावत एक दावा प्रकरण सं0 269/2022 प्रार्थी खैमचन्द की ओर एवं दूसरा दावा प्रकरण संख्या 190/2021 अप्रार्थी टीकम की ओर से अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण सं0 190/21 टीकम बनाम खैमचन्द में दावा वादी डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित करने को आमादा है जबकि बिना दीवानी प्रक्रिया अपनाये उक्त प्रकार से डिक्री पारित नहीं की जा सकती। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी टीकम के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। वकील अप्रार्थी0 उपस्थित।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं0 2 की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1168 व 1062 चक नम्बर 3 कस्बा भरतपुर की बावत एक दावा प्रकरण सं0 269/2022 प्रार्थी खैमचन्द की ओर एवं दूसरा दावा प्रकरण संख्या 190/2021 अप्रार्थी टीकम की ओर से अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण सं0 190/21 टीकम बनाम खैमचन्द में दावा वादी डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित करने को आमादा है जबकि बिना दीवानी प्रक्रिया अपनाये उक्त प्रकार से डिक्री पारित नहीं की जा सकती। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी टीकम के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में झूॅठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन दावा को देरीना करने का है, प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावों को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 ने भी अपनी लिखित बहस में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना कथन किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अर्मित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर